राजस्थान नर्सिंग कौंसिल, जयपुर
बी-39, सरदार पटेल मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर-302001

RNC
RAJASTHAN NURSING COUNCIL
JAIPUR

Rajasthan Nursing Council, Jaipur
B-39, Sardar Patel Marg, C-Scheme, Jaipur - 302001

राजस्थान सरकार
Government of Rajasthan

क्रमांक : आर.एन.सी. / परीक्षा / 2025 / 5152 दिनांक 31/01/2025

समस्त प्रधानाचार्य
राजकीय कॉलेज ऑफ नर्सिंग, जीएनएमटीसी एवं
एएनएमटीसी प्रशिक्षण केन्द, राजस्थान।

विषय – जीएनएम व एएनएम परीक्षाओं में परीक्षक नियुक्ति उत्तर पुस्तिकाओं की जांच कार्य एवं ऑर्ब्जवर नियुक्त किये जाने के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि जी.बी. बैठक दिनांक 22 जनवरी, 2025 के एजेण्डा संख्या 13 में लिये गये निर्णय की अनुपालना में आईएनसी द्वारा जारी जीएनएम पाठ्यक्रम सिलेबस अनुसार जीएनएम नर्सिंग स्कूल में वर्तमान में कार्यरत नर्सिंग शिक्षक जिन्होने निर्धारित मापदण्ड पूर्ण कर लिये है उन्हें ही जीएनएम की प्रायोगिक परीक्षाओं में ऑर्ब्जवर, परीक्षक एवं लिखित परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिका की जांच कार्यों में सम्मलित किये जाने तथा आवश्यकता होने पर जो नर्सिंग शिक्षक निर्धारित मापदण्ड पूर्ण करते है तथा वर्तमान में कार्यव्यवस्थार्थ राजकीय कॉलेज ऑफ नर्सिंग में पदस्थापित है, को भी जीएनएम की लिखित परीक्षा व प्रायोगिक परीक्षाओं में आब्जरवर एवं परिक्षक तथा उत्तर पुस्तिका की जांच कार्य में सम्मलित किये जाने के आदेश एतद् द्वारा प्रसारित किये जाते है।

इसी क्रम में आईएनसी द्वारा जारी एएनएम पाठ्यक्रम सिलेबस अनुसार एएनएम नर्सिंग स्कूल में वर्तमान में कार्यरत नर्सिंग शिक्षक जिन्होने निर्धारित मापदण्ड पूर्ण कर लिये है उन्हें ही एएनएम की प्रायोगिक परीक्षाओं में ऑर्ब्जवर परीक्षक एवं लिखित परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिका की जांच कार्यों में सम्मलित किये जाने एवं लिखित एवं प्रायोगिक परीक्षाओं में आवश्यकता होने पर जो नर्सिंग शिक्षक निर्धारित मापदण्ड पूर्ण करते है तथा वर्तमान में कार्यव्यवस्थार्थ राजकीय स्कूल ऑफ नर्सिंग में पदस्थापित है, को भी एएनएम की लिखित परीक्षा एवं प्रायोगिक परीक्षाओं में आब्जरवर एवं परिक्षक तथा उत्तर पुस्तिका की जांच कार्य में सम्मलित किये जाने का भी सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाता है।

पूर्व जीबी बैठक दिनांक 21 अक्टूबर 2024 का एजेण्डा संख्या 22 की अनुपालना में जीएनएम एवं एएनएम में प्रायोगिक परीक्षाओं में परीक्षक एवं लिखित परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच कार्य हेतु राजकीय नर्सिंग स्कूल एवं नर्सिंग कॉलेज में कार्यरत शिक्षकों को ही सम्मिलित किये जाने का निर्णय लिया गया एवं निजी क्षेत्र में संचालित नर्सिंग स्कूल एवं कॉलेज में कार्यरत शिक्षको को जीएनएम एवं एएनएम की प्रायोगिक परीक्षाओं में परिक्षक एवं लिखित परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच कार्य में सम्मलित नही किये जाने का भी सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है।

यह आदेश राजस्थान नर्सिंग कौंसिल, जयपुर की पूर्व जीबी बैठक दिनांक 21 अक्टूबर 2024 का एजेण्डा संख्या 22 एवं जी.बी. की बैठक दिनांक 22 जनवरी, 2025 के एजेण्डा संख्या 13 में लिये गये निर्णय की अनुपालना में एवं सक्षम स्तर से अनुमोदन के पश्चात् जारी किया गया है।

(भारती)
रजिस्ट्रार
राजस्थान नर्सिंग कौंसिल
जयपुर

क्रमांक : आर.एन.सी. / परीक्षा / 2025 / 5152 दिनांक 31/01/2025
प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–
1. श्रीमान् निदेशक (जन स्वास्थ्य) एवं पदेन अध्यक्ष, आरएनसी, जयपुर।
2. रक्षित पत्रावली।

रजिस्ट्रार
राजस्थान नर्सिंग कौंसिल,
जयपुर

Tel.: +91 141 2222923 | Fax: +91 141 2222099 | Website : www.rncjaipur.org | E-mail : rncjaipur@gmail.com